विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2020/315 दिनांक :- 19/02/2020

प्रति,

मानननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2020 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2020 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2020/ 316 दिनांक :- 19/02/2020

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2020/258 दिनांक :- 14/02/2020

कार्यपरिषद्

की आपात

बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 13.02.2020

समय : पूर्वाह्ण 11:30 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. योगेश रघुवंशी	सदस्य
03.	डॉ. आलोक कुमार राय	सदस्य
04.	श्री सचिन दवे	सदस्य
05.	श्रीमती उषा जाटवा	सदस्य
06.	श्रीमती शेवन्ती भगत	सदस्य
07.	डॉ.भारती सातनकर	सदस्य
08.	डॉ. डी.के. बग्गा	कुलसचिव एवं सचिव

विषय क्रं.1–बजट वित्तीय वर्ष 2019–2020 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2020–2021 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2018–2019 के वास्तविक आय–व्यय पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि बजट वित्तीय वर्ष 2019–2020 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2020–2021 के मूल वित्तीय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–2019 की वास्तविक आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रं.2–माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के आदेश परिपालन पर क्रियान्वयन।

निर्णय :– माननीय कुलपतिजी द्वारा उक्त आदेश परिपालन की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए कार्यालयीन टिप्पणी के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यगणों द्वारा निम्नानुसार अभिमत रखा गया :–

प्रो. आलोक कुमार राय ने इस विषय में निम्न वक्तव्य प्रस्तुत किया :–

"I strongly recommend for immediate implementation of the decision made by the double bench of Hon'ble High Court (Indore) in respect to service confirmation of the said faculty members in its decision made on 15.11.2019."

निरन्तर...2

डॉ. योगेश रघुवंशी जी द्वारा कहा गया कि इस विषय को बाकी सभी समकक्ष मामलों की पूर्ण जानकारी के साथ आगामी कार्यपरिषद् में रखा जाए। शेष सम्माननीय सदस्यगणों श्री सचिन दवे, श्रीमती शेवन्ती भगत, श्रीमती भारती सातनकर, श्रीमती उषा जाटवा, द्वारा अभिव्यक्त किया गया कि वर्तमान बैठक में केवल विश्वविद्यालय वित्तीय प्राक्कलन पर ही विचार किया जाय एवं सम्पूर्ण प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अतः सदस्यों के बहुमत पर आधारित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

कुलपति

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2020/ 1107 दिनांक :- 18/09/2020

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2020 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2020 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2020/ 1108 दिनांक :- 18/09/2020

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2020/1078 दिनांक : 09/09/2020

कार्यपरिषद्

की

बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन तिथि : 08.09.2020

समय : पूर्वाह्न 11:30 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. (श्रीमती) शुभा जैन	सदस्य
03.	डॉ. (श्रीमती) लता भट्टाचार्य	सदस्य
04.	डॉ. (श्रीमती) दीपिका गुप्ता	सदस्य
05.	डॉ. दीपक गुप्ता	सदस्य
06.	डॉ.पी.के.वर्मा	सदस्य
07.	डॉ.दिनेश कुमार सोनी	सदस्य
08.	डॉ.आर.सी.जाटवा	सदस्य
09.	श्री राघवेन्द्र पाल सिंह यादव	सदस्य
10.	डॉ. डी.के. बग्गा	कुलसचिव एवं सचिव

बैठक प्रांरभ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद के समस्त नवागत सदस्यों का स्वागत किया गया।

विषय क्रं.1 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.11.2019 एवं आपात बैठक 13.02.2020 के कार्यविवरणों की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.11.2019 एवं आपात बैठक दिनांक 13.02.2020 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.2 परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानानुसार संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 11.09.2019,25.09.2019,28.11.2019,19.12.2019,02.01.2020 एवं 10.02.2020 के कार्यविवरणों की पुष्टि पर विचार ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानानुसार संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 11.09.2019,25.09.2019,28.11.2019,19.12.2019, 02.01.2020 एवं 10.02.2020 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.3 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.03.2020,16.03.2020, 11.06.2020,19.06.2020,07.07.2020,31.07.2020,04.08.2020,10.08.2020, 14.08.2020,19.08.2020 एवं 27.08.2020 के कार्यविवरणों की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.03.2020, 16.03.2020,11.06.2020,19.06.2020,07.07.2020,31.07.2020,04.08.2020, 10.08.2020,14.08.2020,19.08.2020 एवं 27.08.2020 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.4 शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.5 विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 23.06.2020 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 23.06.2020 के कार्य विवरण की पुष्टि की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि क्रीडा विभाग में रिक्त पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के लिये राज्य शासन को पत्र लिखा जाए।

(क्रियान्वयन - विकास विभाग)

विषय क्रं.6 माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के द्वारा W.P.No.5801,5802,5804,5805/2016 W.P.No.25554/2018 एवं W.P.No.5901/2013 तथा रिट अपील W.A.No.131,128, 129,130,1633/2019 में पारित आदेश परिपालन पर क्रियान्वयन।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के द्वारा W.P.No.5801, 5802,5804,5805/2016 W.P.No.25554/2018 एवं W.P.No.5901/2013 तथा रिट अपील W.A.No.131,128,129,130,1633/2019 में पारित आदेश के परिपालन में संबंधित शिक्षकों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जाए। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.7 विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की विभिन्न अध्ययनशालाओं में सत्र 2020-21 में अध्यापन व्यवस्था पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, समन्वय समिति की 95वीं बैठक दिनांक 6.9.2018 के विषय क्रमांक 14 में लिये गये निर्णय एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 699/335/ आउशि/शा2/20 दिनांक 30.6.2020एवं दिनांक 04.08.2020 के परिप्रेक्ष्य में विगत वर्ष में कार्यरत अतिथि विद्वानो को वर्ष 2020-2021 के लिये विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों के विरुद्ध शैक्षणिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अन्य कार्यों को सम्पादित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पूर्व प्रक्रियानुसार कार्यपरिषद के निर्णय के दिनांक से सत्रांत तक आमंत्रित किया जाए । **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.8 म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु- सह सेवा निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा रु. 20 लाख भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, राज्य शासन का पत्रम.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र.एफ 73-4/2020/38-3 दि. 29.07.2020 यथावत अंगीकृत किया गया एवं साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एकीकृत परिनियम 35 समन्वय समिति से मान्य होने पर यथावत लागू किया जाए । **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.9 IUMS साफ्टवेयर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

टिप्पणी :- म.प्र. के विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए लगभग पिछले एक वर्ष में प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों ने बैठकों एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कम्प्यूटीकरण पर विचार विमर्श किया। मुख्य रूप से परीक्षा कार्य पर विस्तृत FRS (Functional Requirement Specification) को तैयार किया गया। इस FRS को आधार बनाकर राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल (RGPV) द्वारा Integrated University Management System (IUMS) Software के Beta version (Trial version) को विकसित किया गया, जिसे दिः 15/5/2020 को माननीय कुलाधिपति द्वारा द्वारा लोकार्पित किया गया। तदोपरांत सभी विश्वविद्यालयों से इस Beta version सॉफ्टवेयर का परीक्षण कर सुझाव आमंत्रित किये गये।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,भोपाल द्वारा तैयार किये गये IUMSसाफ्टवेयर को म.प्र. के अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों की तरह विक्रम विश्वविद्यालय में भी प्रवर्तित करने हेतु प्रेषित किये गये MOU को मान्य करते हुए, MOU को हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा IUMS साफ्टवेयर के संबंध में विर्मश हेतु गठित दलों की अनुशंसा/सुझाव को पृथक से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,को प्रेषित की जाए।

विषय क्रं.10 स्व. डॉ. तपन चौरे, आचार्य,अर्थशस्त्र अ.शा. को परिवार पेंशन योजना लागू करने हेतु प्रकरण पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दि. 1.6.11 में उल्लेखित शर्त 11 के अनुसार तथा वित्त विभाग के परिपत्र दि. 17.10.2006 के निर्देशानुसार स्व. डॉ. तपन चौरे को म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप अनुसार म.प्र. पेंशन नियम 1976 के प्रावधान अनुसार पेंशन स्वत्वों का लाभ प्राप्त करने एवं उनके आकस्मिक निधन होने पर उनकी पत्नी को परिवार पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य ऐसे समान प्रकरणों का परीक्षण भी उपरोक्त निर्णय अनुसार किया जाकर आगामी कार्यवाही की जाए।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.11 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों से प्राप्त आवेदनों पर गठित समिति की बैठक दिनांक 20.07.2020 में की गई अनुशंसा अनुमोदित की गई। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.12 विश्वविद्यालय के सत्र 2018-19 के 62 वें वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय के सत्र 2018-19 के 62 वें वार्षिक प्रतिवेदन सूचना ग्राह्य की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.13 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र क्रमांक D.O.No.F.1-1/2018 (Journal/CARE) दिसम्बर 2019 के तारतम्य में पीएच.डी. शोधार्थियों के लिये publication ethics and publication misconducts शीर्षक "Research and Publication Ethics" (RPE) के अतंर्गत 2 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को कोर्स वर्क पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर पीएच.डी. अध्यादेश 11 के विद्यमान प्रावधान में संशोधन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,"अध्यादेश 11 के अंतर्गत विद्यमान प्रावधान में 16 क्रेडिट का कोर्सवर्क पाठ्यक्रम प्रचलन में है। अध्यादेश 11 में विद्यमान प्रावधान में संशोधन करने हेतु पुनः एक समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.14 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी विनियमित करने पर विचार।

निर्णय :- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. एफ 5-1/2013/1/3, दिनांक 07.10.2016,की कंडिका क्रं.1.8 के अनुसार दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किए गए, उन्हें भी योजना की पात्रता होगी।

विश्वविद्यालय में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी कुलपति/कुलसचिव होते है।

अतः प्रकरण में वर्णित विश्वविद्यालय के 16 मई 2007 के पश्चात नियुक्त दैनिक वेतन भोगी को भी इस योजना की पात्रता है।

निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में जो कर्मचारी स्थायीकर्मी होने की पात्रता एवं योग्यता रखते है उनकी सूची तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए। समिति पात्र कर्मचारियों की सूची वित्तिय अधिभार सहित तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी। समिति के गठन हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.15 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी की दैनिक वेतन दरों की वृद्धि पर प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, सूचना ग्राहय की गयी। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.16 न्यू ऐरा शिक्षा महाविद्यालय,देवास में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा पर अनुमोदन हेतु विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, न्यू ऐरा शिक्षा महाविद्यालय,देवास में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन पर गठित चयन समिति से एवं शासीनिकाय से प्राप्त अनुशंसानुसार डॉ.अनितासिंह को प्राचार्य के पद पर हेतु मान्य किया गया। साथ ही प्राचार्य से शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार जांच, अपराधिक प्रकरण लंबित नही है । **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.17 परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत महाविद्यालयों की शासीनिकाय में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि मनोनीत करने हेतु।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, अशासकीय महाविद्यालयों की शासीनिकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के मनोनयन हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया ।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.18 विक्रम विश्वविद्यालय अतिथि निवास परिसर के नव-श्रृंगारित एवं नव-निर्मित शिक्षक सदन के कक्षों एवं मैदान की दरों का निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, गठित समिति की अनुशंसाओं को मान्य किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जो मांगलकि कार्य हेतु सुरक्षा निधि का भी प्रावधान किया जाए जिससे विश्वविद्यालय की संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

(क्रियान्वयन -यांत्रिकी/अतिथि निवास विभाग)

विषय क्रं.19 हडताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजन करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के उपाचार्य एवं प्राध्यापक, दि. 1.11.19 से 18.11.19 तक कुल 18 दिवस हडताल पर रहे। उक्त हडताल अवधि को उनकी पात्रता अनुसार अर्जित अवकाश में समायोजन किया जाए। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.20 डॉ.परीक्षित सिंह, सेवानिवृत्त कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन का विश्वविद्यालय स्तर से भुगतान के संबंध में।

निर्णय :- यह निर्णय लिया गया कि एकीकृत परिनियम 35 समन्वय समिति से मान्य होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावे। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.21 श्री मांगीलाल सोनी, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के अंतर की राशि के भुगतान हेतु विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री मांगीलाल सोनी, सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन की कुल अंतर की राशि रूपये 28878/- के भुगतान किया जाए।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.22 श्री सदाशिव राव, सेवानिवृत्त, भृत्य, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री सदाशिव राव, सेवानिवृत्त, भृत्य, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान की राशि की मांग शासन से की जाए एवं शासन से राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान किया जाए।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.23 डॉ.इस्माईल भाई,सेवानिवृत्त,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,डॉ.इस्माईल भाई,सेवानिवृत्त,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय ,

उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान की राशि की मांग शासन से की जाए एवं शासन से राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान किया जाए।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.24 स्व. श्री भेरुलाल नागर, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के छठे वेतन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के अंतर की राशि का वि.वि. स्तर से भुगतान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,स्व. श्री भेरुलाल नागर, शासकीय माधव महाविद्यालय, , उज्जैन ग्रेच्युटी एवं अवकाश के नगदीकरण के भुगतान की राशि की मांग शासन से की जाए एवं शासन से राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान किया जाए।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.25 श्री महेन्द्र झा, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी का भुगतान वि.वि. स्तर से किये जाने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री महेन्द्र झा, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी के भुगतान की राशि की मांग शासन से की जाए एवं शासन से राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान किया जाए।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.09.2020 की प्रथम पूरक कार्यविवरण

विषय क्रं.01 वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत डॉ.शरद दुबे एवं श्री संत कुमार प्रसाद द्वारा वरिष्ठ तकनीकी के पद का पदनाम एवं वेतनमान रु 5000-8000 से तकनीकी अधिकारी वेतनमान 8000-13500 प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल के आदेश क्र.एफ.18/13 /99/C-3/38 दिनांक 05.12.99 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2007 के निर्णयानुसार विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2007/2391 दिनांक 29.12..2007 के अनुसार समान प्रकरण मानते हुए डॉ. शरद दुबे एवं श्री संत कुमार प्रसाद को भी इस योजना का लाभ संदर्भित आदेश में उल्लेखित शर्तो की सुनिश्चितता कर प्रदान किया जाये।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.02 शासन के पत्र के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी-3-11/08/1/3, दिनांक 17.7.08 के द्वारा समस्त विभागों के सहायक,, उच्च श्रेणी लिपिक एवं निम्न श्रेणी लिपिक के पदनामों के स्थान पर सहायक ग्रेड-1,2 एवं 3 पविर्तित पदनाम रखा जाकर सेवा भरती नियमों में पदनाम संशोधन की कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

विक्रम विश्वविद्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदनामों का पदनाम परिवर्तित किय जाने हेतु उक्त पत्र को अंगीकृत किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.03 गुरू द्रोण महाविद्यालय, टोंकखुर्द जिला,देवास में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा पर अनुमोदन हेतु विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, गुरू द्रोण महाविद्यालय, टोंकखुर्द जिला,देवास में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन पर गठित चयन समिति से एवं शासीनिकाय से प्राप्त अनुशंसानुसार डॉ. जय प्रकाश दुबे को प्राचार्य के पद पर हेतु मान्य किया गया। साथ ही प्राचार्य से शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार जांच, अपराधिक प्रकरण लंबित नही है । **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.04 शासन के पत्र के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,म.प्र. शासन, सामान्य वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ11-6/2020/2115/2018/नियम/चार/भोपाल दिनांक 11.08.2020 के अनुसार राज्य शासन के समस्त विभाग के समान सवंर्गो के लिए सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में- तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2019 से प्रभावी होने हेतु निर्देशित किया है।

विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2019 से दिये जाने हेतु उक्त पत्र को अंगीकृत किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.01 सुरक्षा प्रभारी/समन्वयक के दायित्व निर्वहन हेतु अतिरिक्त मानदेय वाहन खर्च एवं मोबाईल खर्च प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,डॉ. कनिया मेड़ा,प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र अध्ययनशाला को अपने मूल दायित्चव के साथ अतिरिक्त कार्य सुरक्षा प्रभारी/समन्वयक का दायित्व निर्वहन करने हेतु मानदेय 3000/-रू. प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

कार्य-परिषद् की बैठक की समाप्ति के पश्चात् पूर्व कुलपति डॉ. जोखन सिंह के निधन पर कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा दो मिनट का मौन रखा गया।

कुलपति **कुलसचिव**

D:/meeting sastion/ECNew/